राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश

(लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नियम पुस्तिका

सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के चयन के लिए

(ऑनलाइन लिखित टेस्ट द्वारा)

जनवरी-दिसंबर, २०२१

<u>राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश</u>

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), मध्य प्रदेश, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। यह कैडर सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए **स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एचएंडडब्ल्यूसी)** के रूप में उप-केंद्रों को मजबूत करने और बीमारी की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन सहित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा वितरण को सक्षम करने के लिए **आयुष्मान भारत** के तहत एक पहल का एक हिस्सा है। सफल हुए उम्मीदवारों को **महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम), पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एमपीडब्ल्यूएस)** और **आशा** जैसे फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं से बनी प्राथमिक स्वास्थ्य टीम का नेतृत्व करने के लिए **सीएचओ** के रूप में उप-केंद्रों पर नियुक्त किया जायेगा।

एनएचएम, म.प्र., सीएचओ के लगभग **३,८००** संविदात्मक रिक्त पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से जनवरी-दिसंबर, २०२१ के दौरान चरणबद्ध तरीके से भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

१. सीएचओ पद का विवरण:

#	**पद का नाम**	**पद का कोड**	**कुल सीटें**	**यू.आर. २७%**	**यू.आर.-ईडब्ल्यूएस-१०%**	**एसटी -२०%**	**एस सी-१६%**	**ओबी सी-२७% ***	**पीएच-६% ****
१.	सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी	सीएचओ-एनएचएमएमपी	**३८००**	१०२६	३८०	७६०	६०८	१०२६	२२८

* ओबीसी आरक्षण (%) का मुद्दा माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश में विचाराधीन है और निर्णय ओबीसी और यूआर श्रेणियों के आरक्षण प्रतिशत को तदनुसार प्रभावित कर सकता है।

** केवल अस्थिविषयक दिव्यांगता उम्मीदवारों को इस श्रेणी के तहत अनुमति दी जाएगी।

सामान्य निर्देशों, लिखित परीक्षा की तारीख और ऑनलाइन एडमिट कार्ड/हॉल टिकट की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया करके http://www.nhmmp.gov.in/ या www.sams.co.in पर जाएं।

आवेदन ऑनलाइन जमा करने की शुरुआत **१८ सितंबर, २०२०** को पूर्वाह्न **१२:०१ बजे** से होगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **०८ अक्टूबर, २०२०** को रात **११:५९ बजे** है।

२. शैक्षिक और अन्य पात्रताएँ:

२.१ बी.एस.सी. (नर्सिंग)/ पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. (नर्सिंग) के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य में एकीकृत सर्टिफिकेट कोर्स जो **भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली** द्वारा मान्यकृत है (जिसके लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा २०२०-२१ सत्र में आयोजित की जाएगी) (**B.Sc. (Nursing) OR Post Basic B. Sc. (Nursing) with Integrated Certificate Course in Community Health recognized by**

Indian Nursing Council, New Delhi (For which final year of examination shall be held in 2020-21 session);

२.१.१ उम्मीदवार, जिनकी अंतिम वर्ष की परीक्षा २०२०-२१ सत्र में आयोजित की जाएगी, उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ इस संबंध में अपने नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य से दिए गए प्रारूप के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। **(कृपया परिशिष्ट I देखें।)**

२.१.२ उम्मीदवार, जिन्होंने **बी.एस.सी. (नर्सिंग)/ पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. (नर्सिंग)** के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य में एकीकृत सर्टिफिकेट कोर्स पूरा किया है, उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ इस संबंध में अपने नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य से दिए गए प्रारूप के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। **(कृपया परिशिष्ट II देखें)।**

२.२ जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, **सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी** के चयन के लिए न्यूनतम पात्रता में से एक है, **बी.एस.सी. नर्सिंग/ पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग** की अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होना। यदि कोई उम्मीदवार बी.एस.सी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग की अंतिम परीक्षा में विफल हो जाता है तो, इंटर्न **सीएचओ** के रूप में ऐसे उम्मीदवारों की अनंतिम पोस्टिंग को समाप्त किया जाएगा।

२.३ उम्मीदवार को संविदात्मक आधार पर **सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी** के पद का कार्यग्रहण करने से पूर्व, **म.प्र. नर्सिंग परिषद** के साथ पंजीकरण करना आवश्यक है।

३. * आयु सीमा: २१-४० वर्ष
* आयु गणना की संदर्भ तिथि: **०१.०१.२०२१**

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को अधिकतम ५ वर्ष की छूट दी जाएगी, उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिला, और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और अधिकतम आयु सीमा ऐसे उम्मीदवारों के लिए ४५ वर्ष की होगी, यदि वे मध्य प्रदेश के निवासी हैं।

स्पष्टीकरण: आयु की गणना के लिए १०वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र/ मार्क शीट एक वैध/ संदर्भ दस्तावेज होगा और उम्मीदवार की आयु की गणना के लिए अन्य दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।

<u>४. वेतन, तनख़्वाह और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन:</u>

४.१ चयन के बाद, उम्मीदवार को इंटर्न **सीएचओ** के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया जाएगा और उन्हें प्रति माह @१५,000 रुपये वेतन और साथ ही ७,५०० रुपये प्रति माह प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन का भुगतान किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहता है, तो उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा।

४.२ योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद (बीएससी नर्सिंग/ पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग के साथ एकीकृत सी.सी.एच), और मध्य प्रदेश नर्सिंग परिषद में पंजीकृत होने के बाद, उम्मीदवार को **सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी** के रूप में नियुक्त किया जाएगा जो संविदात्मक आधार पर होगा और २५,००० रूपये प्रति माह वेतन और साथ ही १५,००० रुपये प्रति माह प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन का भुगतान किया जाएगा।

४.३ उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश में उप स्वास्थ्य केंद्र **एचएंडडब्ल्यूसी** में न्यूनतम तीन वर्ष के लिए सेवा देने के लिए **सीएचओ** के रूप में कार्यग्रहण करने से पूर्व **५००** रूपये के स्टाम्प पेपर पर २,००,०००/ - रुपये का एक बांड जमा करना अनिवार्य है।

५. आरक्षण नियम:

५.१ मध्य प्रदेश राज्य आरक्षण नीति चयन और आयु छूट में लागू की जाएगी। इसलिए, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), ईडब्ल्यूएस, विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी), और आयु में छूट केवल मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के अधिवास पर लागू होगी;

५.२ मध्य प्रदेश के अलावा अन्य उम्मीदवारों को एक अनारक्षित उम्मीदवार माना जाएगा।

६. अपात्रता:

६.१ उम्मीदवारों जिन्होंने संस्थान / विश्वविद्यालय से **बी.एस.सी. नर्सिंग** या **पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग** किया हो जो स्व-प्रायोजित पाठ्यक्रम या डिस्टेंस लर्निंग मोड पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं;

६.२ उम्मीदवार जिन्होंने एकीकृत सीसीएच पाठ्यक्रम के बिना बी.एस.सी. नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम किया हो।

६.३ चयन प्राधिकरण द्वारा उम्मीदवार को परीक्षा / चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि किसी भी उम्मीदवार द्वारा या किसी भी उम्मीदवार के लिए या अन्य माध्यम से, किसी अन्य माध्यम से किसी अन्य माध्यम से चयन में समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है;

६.४ उम्मीदवार को नियमों और चयन मानदंडों का अवलोकन करना चाहिए और पद के लिए आवेदन करने से पहले पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के चरणों के दौरान और/या परिणाम की घोषणा के बाद अयोग्य पाया जाता है और उम्मीदवार द्वारा प्रदान किया गया विवरण गलत पाया जाता हैं, तो इस स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीदवारी प्रक्रिया में किसी भी बिंदु पर अयोग्य घोषित की जाएगी;

६.५ उम्मीदवारों को परीक्षा से अयोग्य / निष्कासित कर दिया जाएगा, यदि वे परीक्षा में दुर्व्यवहार करते हैं और परीक्षा के दौरान शांति में बाधा खड़ी करने में शामिल होते हैं;

६.६ यदि उम्मीदवार फर्जी दस्तावेज प्रदान करते हैं या उनके दस्तावेज बदले/रूपांतरित/जाली हैं, या उन्होंने कोई ठोस जानकारी छिपाई है, तो उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा;

६.७ यदि उम्मीदवार परीक्षा के लिए किसी अभिप्रेरक का उपयोग करते है या करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा;

६.८ कोई भी उम्मीदवार जिसके खिलाफ अदालत में आपराधिक मामला किया गया है या अदालत द्वारा दंडित किया गया है, उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा (पात्र नहीं होगा)।

७. चयन प्रक्रिया: परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। किसी व्यक्ति द्वारा प्रक्रिया को अधिप्रभावी करके कोई भी लाभ देने की कोई संभावना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कोई भी लाभ प्राप्त करने के बारे में दावा करता है, तो यह व्यावहारिक नहीं है, और उम्मीदवारों को ऐसे झूठे दावों से सावधान रहना चाहिए;

७.१ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) के चयन के लिए, **स्ट्रैटेजिक एलायंस मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (एस.ए.एम.एस**, **एचआर एजेंसी**) द्वारा **एमसीक्यू** आधारित ऑनलाइन लिखित परीक्षा (ओडब्ल्यूटी) का आयोजन किया जाएगा।

७.२ उम्मीदवार को नियमों और चयन मानदंडों का अवलोकन करना चाहिए और पदों के लिए आवेदन करने से पहले पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के चरणों के दौरान और/या परिणाम की घोषणा के बाद अयोग्य पाया जाता है और उम्मीदवार द्वारा प्रदान किया गया विवरण गलत पाया जाता हैं, तो इस स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीदवारी, प्रक्रिया में किसी भी बिंदु पर अयोग्य हो जाएगी;

७.३ उम्मीदवारों को **०८ अक्टूबर, २०२०** की मध्यरात्रि **११:५९ बजे** तक या उससे पहले **एस.ए.एम.एस** वेबसाइट पर उपलब्ध **ऑनलाइन आवेदन पत्र (ओएएफ)** को भरना और जमा करना होगा। किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किये गए आवेदन को वैध नहीं माना जाएगा;

७.४ उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने से पहले निर्देशों और दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है;

७.५ परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र में चार उत्तरों के विकल्पों के साथ १०० एमसीक्यू प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न १ अंक का होगा। कोई नेगेटिव अंकन नहीं होगा। चयन के लिए, ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त उम्मीदवार के अंकों को मेरिट रैंक उत्पन्न करने पर विचार किया जाएगा, जिसके आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जाएगा;

७.६ ऑनलाइन लिखित टेस्ट परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक ४० होंगे। मेरिट रैंक का जनरेशन और उम्मीदवार का चयन इस पर और राज्य आरक्षण नीति के आधार पर होगा;

७.७ उपरोक्त मानदंडों के अनुसार यदि उम्मीदवारों की आवश्यक संख्या कुल पदों की संख्या से कम हो जाती है, तो इस स्थिति में, **मिशन निदेशक, एनएचएम**, **म.प्र.** आवश्यक के रूप में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक को कम करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। दो उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति में, अवरोही क्रम में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वरीयता दी जाएगी

(i) आयु में बड़े उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी;
(ii) यदि उम्मीदवारों की जन्म तिथि के मामले में बराबरी बनी रहती है, तो भी १२वीं / उच्चतर माध्यमिक में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी

७.८ आवेदकों को आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य जानकारी [* (आस्ट्रिक) से चिह्नित)] प्रदान करना आवश्यक है;
७.९ आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विवरण सही तरीके से भरे गए हैं और समापन तिथि से पहले ऑनलाइन सफलतापूर्वक जमा किए गए हैं। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन पत्र पर आवेदक का स्टेट्स "सफलतापूर्वक सबमिट किया गया" है; आधे भरे हुए आवेदनों को अपूर्ण माना जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा;

७.१० एक बार ऑनलाइन फॉर्म जमा हो जाये बाद किसी भी जानकारी में बदलाव या सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, जाँच परिणाम के प्रकाशन के बाद, यदि जाँच परिणाम और उनकी स्थिति के बारे में कोई प्रश्न होगा तो उम्मीदवारों को उनके प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए २-४ दिन (एनएचएम की मंजूरी के आधार पर) दिए जाएंगे। जाँच समिति उसी के लिए बनाए गए ऑनलाइन मॉड्यूल पर प्रश्न की प्राप्ति के चार कार्यकारी दिवसों के भीतर उम्मीदवारों के प्रश्न का जवाब देगी। जाँच समिति के निष्कर्ष के आधार पर, उम्मीदवार की जाँच टिप्पणी बदल सकती है;

७.११ उम्मीदवार अधिकतम १० उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए अपनी स्थान वरीयता दे सकते हैं जो बाद के चरणों में लिया जाएगा। पद के लिए उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन फॉर्म जमा नहीं कर सकता है। यदि उसकी उम्मीदवारी का पता नहीं लगाया गया है तो उसकी उम्मीदवारी को बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया जा सकता है।

७.१२ विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) के मामले में, आवेदकों को निम्नलिखित श्रेणियों में पंजीकरण करना होगा:
(क) अंधापन और कम दृष्टि
(ख) बहरा और सुनने में कठिनाई
(ग) दिमाग़ी लकवा, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ितों और पेशी अपविकास सहित अस्थिविषयक दिव्यांगता
(घ) स्वलीनता, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता, और मानसिक बीमारी।

७.१३ आवेदन में अपूर्ण विवरण या हस्ताक्षर या सहायक दस्तावेजों के साथ तस्वीर के बिना प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया जाएगा;

७.१४ सुधार/अवलोकन अवधि के बाद, जन्म तिथि, श्रेणी (जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी) आदि में सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके संबंध में कोई भी संचार मान्य नहीं होगा;

७.१५ उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के दौरान परीक्षा के लिए केंद्र की पसंद प्रदान कर सकते हैं। केंद्र का आवंटन निम्नलिखित पर आधारित होगा:
(क) केंद्र की कुल संख्या की उपलब्धता और उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई केंद्र प्राथमिकताएं;
(ख) प्राथमिकताएं और उपलब्धता समाप्त हो जाने के बाद, इसे पहला आवेदन पहला आवंटन (एफएएफए) के आधार पर किया जाएगा।

७.१६ ई-एडमिट कार्ड को **एसएएमएस** एवं **एनएचएम**, **म. प्र.** की आधिकारिक वेबसाइट www.sams.co.in और http://www.nhmmp.gov.in/ पर से परीक्षा तिथि के सात (७) दिन पहले डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा तिथि की घोषणा पाठ्यक्रम के साथ एसएएमएस एवं एनएचएम, म. प्र. की आधिकारिक वेबसाइट पर होगी;

८. स्थान आवंटन:

८.१ उप स्वास्थ्य केंद्र मेरिट रैंक और उम्मीदवारों की वरीयताओं के आधार पर आवंटित किया जाएगा;

८.२ ऑनलाइन फॉर्म भरते समय एक घोषणा के लिए उम्मीदवारों को सहमत होना होगा कि "मैं पूरी तरह से समझता हूं कि उपरोक्त, स्थान वरीयता का विवरण, केवल सूचना के उद्देश्य से मांगा जा रहे हैं। उम्मीदवार की मेरिट सूची रैंक के आधार पर, **एनएचएम**, **म.प्र.** के अधिकारियों द्वारा नौकरी की पोस्टिंग का निर्णय लिया जाएगा। मैं उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से या स्थानों के अपने विवेक और उपलब्धता के अनुसार **एनएचएम**, **म.प्र.** द्वारा निर्धारित पोस्टिंग के स्थान का पालन करने के लिए पूरी तरह सहमत हूं।

९. दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया:
(क) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन आवंटित जिलों में संबंधित **मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएमएचओ)** द्वारा किया जाएगा;
(ख) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया के लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र (व्यक्तिगत, शिक्षा, पंजीकरण, आदि) भरते समय पूछे गए थे;
(ग) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जिसके पास विज्ञापन में अपेक्षित ToR के अनुसार आवश्यक क्रेडेंशियल/दस्तावेज/पंजीकरण नहीं हैं, उन्हें चयन के लिए रद्द माना जाएगा;
(घ) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के समय दी गई घोषणा के अनुसार तथ्यों की गलत व्याख्या के लिए भी उम्मीदवारों को अयोग्य माना जाएगा;
(ड़) जो उम्मीदवार निर्धारित समय अवधि के भीतर आवंटित स्थान पर रिपोर्ट नहीं करेंगे, उन्हें पद कार्यग्रहण करने के लिए कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, और पद मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्रदान किया जाएगा।

१०. अन्य निर्देश और दिशानिर्देश:

१०.१ चयनित उम्मीदवारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/परिचय पत्र, प्रस्ताव पत्र, मूल और जेरोक्स कॉपी को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है

(क) १०वीं या माध्यमिक / उच्च माध्यमिक और उम्मीदवारों के सभी उत्तीर्ण किये हुए पाठ्यक्रम की वार्षिक / सेमेस्टर वार मार्क शीट;

(ख) नवीनतम पासपोर्ट साइज की दो तस्वीरें;

(ग) मध्य प्रदेश के उप मंडल अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति का प्रमाण पत्र;

(घ) स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र / अधिवास प्रमाण पत्र;

(ङ) नवीनतम चिकित्सा फिटनेस प्रमाणपत्र, प्रस्ताव पत्र जारी करने की तारीख से १५ दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए;

(च) सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के चयन के लिए, ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिलिपि, एडमिट कार्ड की मूल और स्व-सत्यापित प्रतिलिपि;

(छ) उपरोक्त प्रमाणपत्र / दस्तावेजों में से किसी के अभाव में उम्मीदवारों को पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा और इसके लिए किसी भी प्रतिनिधित्व का स्वीकार नहीं किया जाएगा;

(ज) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निर्धारित छुट्टी के नियम अपरेंटिस/ आंतरिक संविदा **सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी** के लिए लागू होंगे;

(झ) गर्भवती उम्मीदवार के लिए, जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र कार्यग्रहण के समय पर लागू होगा, और उपरोक्त प्रमाणपत्र जमा करने पर ही कार्यग्रहण सुनिश्चित किया जायेगा।

११. चयन प्रक्रिया के सफल समापन के बाद, और **सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी** के रूप में नियुक्ति के बाद, **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन** नियमों का निर्धारण और व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकारी होगा।

१२. चयन प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार:

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चयन के किसी भी समय नियमों और प्रक्रिया में संशोधन करने का अधिकार आरक्षित रखता है। ऐसा कोई भी संशोधन मान्य और बाध्यकारी होगा।

१३. परीक्षा केंद्र/ शहर: (१) भोपाल; (२) इंदौर (३) ग्वालियर (४) जबलपुर (५) रीवा (६) उज्जैन

१४. परिभाषाएँ:

१४.१ "चयन परीक्षा" का अर्थ **सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी** के लिए चयन प्रक्रिया का संदर्भ है;

१४.२ आरक्षित श्रेणी का अर्थ: - पांच श्रेणियों से उम्मीदवार, उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी); **या मध्य प्रदेश की राज्य आरक्षण नीति के अनुसार।**

परिशिष्ट I

[Format for Certification from Principal for Applying for CHO, NHM, MP]

[*For Candidates who shall be Appearing in Final Examination of BSc (Nursing)/ Post Basic BSc (Nursing) along with Integrated Certificate Course in Community Health (CCH)*]

College Letter Head

Certificate

This is to certify that Mr/ Ms/ Mrs __________________ university enrolment number ____________________ Son/daughter/ Wife of _________________ is a final year student of B. Sc. Nursing/ Post Basic B.Sc. Nursing course with integrated curriculum of Certificate in Community Health as per notification of university. He/ she is due to appear in forthcoming final examination of the course.

Dated……………………..

Signatures with Seal

[Format for Certification from Principal for Applying for CHO, NHM, MP]

***[For Candidate who has Completed BSc (Nursing)/ Post Basic BSc (Nursing) along with Integrated Certificate Course in Community Health (CCH)*]**

College Letter Head

Certificate

This is to certify that Mr/ Ms/ Mrs __________________ university enrolment number __________________ Son/daughter/ Wife of ____________________ has completed B. Sc. Nursing/ Post Basic B.Sc. Nursing course with integrated curriculum of Certificate in Community Health as per notification of university.

Dated……………………..

Signatures with Seal